कृषि विज्ञान केन्द्र, गंधार, जहानाबाद

पत्रांक - **VII/KVK/IV/3/Poly House/383** दिनांक–10.11.2020

नीलामी सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, गंधार, जहानाबाद में दिनांक–09.11.2020 को क्षतिग्रस्त पॉली हाउस के लोहे के टूटे/मुड़े पाईप की निष्पादन की प्रक्रिया के संदर्भ में क्षेत्रीय निदेशक, कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा गठित समिति की बैठक संपन्न हुई इस बैठक के निर्णय के आलोक में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के पॉली हाउस के अनुपयोगी लोहे के टूटे/मुड़े पाईप की नीलामी दिनांक 18.12.2020 को दिन में 12:00 बजे से कृषि विज्ञान केन्द्र, गंधार, जहानाबाद में की जायेगी। इन टूटे/मुड़े पाईपों का वजन लगभग 1350 किलोग्राम है एवं न्यूनतम निर्धारित मूल्य 20 रूपये प्रति किलोग्राम है। नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीकर्त्ता द्वारा न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत राशि नगद जमा करायी जायेगी, साथ ही साथ अधिकतम बोलीकर्त्ता को अधिकतम बोली के मूल्य का 25 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से उसी वक्त जमा करना होगा। नीलामी के नियम एवं शर्तो तथा अनुपयोगी लोहे के सामग्रियों को कार्यालय दिवस में आकर देखा जा सकता है। इच्छुक प्रत्याशी नीलामी में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं।

नीलामी की शर्तेः–

1. लोहे के अनुपयोगी टूटे/मुड़े पाईप की नीलामी की प्रक्रिया 12 बजे दिन से शुरू होगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को नीलामी के पूर्व न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में नगद जमा करना होगा। बगैर जमानत की राशि के नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
3. अधिकतम डाक बोलने वाले को अधिकतम बोली के मूल्य का 25 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से उसी वक्त जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट Krishi Vigyan Kendra, Jehanabad के नाम से जो Punjab National Bank, Branch-Kako (Jehanabad) पर देय होगा/ NEFT A/c No. 2321000100338968, IFSC Code: PUNB0232100 पर करना होगा।
4. अग्रिम राशि का समायोजन कर शेष राशि 7 दिनों के अंदर कार्यालय में जमा करना होगा।
5. अधिकतम बोली की पूरी राशि जमा करने के उपरांत ही सामान ले जाने की अनुमति होगी।

6. द्वितीय बोली लगाने वाले प्रत्याशी की जमानत की राशि भी पंद्रह दिनों तक जमा रहेगी तथा प्रथम प्रत्याशी द्वारा राशि नहीं जमा करने पर द्वितीय बोली की अधिकतम राशि अगले सात दिनों के अंदर जमा करना होगा।
7. यदि निर्धारित समय तक डाक की पूर्ण राशि जमा नहीं कर दी जाती है तो जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी लेने वाले का स्वामित्व स्वतः समाप्त हो जायेगा।
8. डाक में असफल प्रत्याशियों को डाक के बाद जमानत की राशि लौटा दिया जायेगा।
9. इस पत्र के साथ संलग्न लोहे के अनुपयोगी सामानों की ही नीलामी होगी।
10. सभी प्रत्याशियों को नीलामी के पूर्व सामानों को कार्यालय कार्य अवधि में दिखा दिया जायेगा।
11. नीलामी के वक्त विशेष परिस्थिति में नीलामी करने वाले अधिकारी या समिति को बिना कोई कारण बताये नीलामी स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना पहचान पत्र आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र, एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
13. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर समिति द्वारा वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, के अनुमोदनोपरांत नीलामी रद्द किया जा सकेगा।

Sd/-

वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान
कृषि विज्ञान केन्द्र, जहानाबाद

Final.